


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र. नि.1037-तीन/09

जिला-सीधी

34

(1)	(2)	(3)
26.10.16	<p>आवेदक एवं आवेदक के अधिवक्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक के अधिवक्ता को समय-समय पर आवाज लगवाई गयी उसके बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। आवेदक के अधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

